राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3050/2023

रवि कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, (अराजपत्रित), स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
6. रामवतार अग्रवाल, लैब टेक्निशियन, खण्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सवाईमाधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.10.2023
आदेश की दिनांक : 19.11.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी सं.6 की ओर से : श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री हेमन्त धारीवाल उपस्थित एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–6 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री रामेश्वर गुर्जर उपस्थित।
2. इस अपील में अपीलार्थी का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया था।
3. प्रत्यर्थी विभाग का तर्क है कि वर्तमान में अपीलार्थी के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 28.07.2024 जारी कर अपीलार्थी का पदस्थापन किया जा चुका है। अपीलार्थी के पदस्थापन हो जाने के कारण कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।
4. प्रत्यर्थी विभाग के उपरोक्त कथन के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के कारण यह अपील सारहीन हो जाती है। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)